संख्या-66 /2022/1430/26-3-2022

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 जून 2022

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वागींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के विकास कार्यो की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-595-96/स.क./विकास/ एकीकृत/ सिद्धार्थनगर(25)/ 2021-22, दिनांक-13.10.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-10-अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0-2000.00 लाख (रू0 दो हजार लाख मात्र) से लेखानुदान अवधि के लिये जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों की धनराशि को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि के सापेक्ष अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के विकासखण्ड-शोहरतगढ़, बढ़नी एवं नौगढ़ के विभिन्न ग्रामों में पिच रोड़, सी0सी0रोड़, के0सी0ड्रेन, इण्टरलाकिंग, आउटफाल ड्रेन का निर्माण, नाली निर्माण इत्यादि के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0-591.640 लाख के सापेक्ष रू0-225.00 लाख (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद-सिद्धार्थनगर (धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	कुल उपभोग/ व्यय धनराशि	अवशेष वांछित धनराशि	तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	शोहरतगढ़	सीतारामपुर	पिचरोड/ सी0सी0रोड/	98.090	19.620	20.840	40.460	57.630	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			के0सी0ड्रेन का निर्माण						
2	शोहरतगढ़	सेमरा	पिचरोड/ सी0सी0रोड/के0 सी0ड्रेन का निर्माण	96.850	19.370	20.840	40.210	56.640	20.00
3	शोहरतगढ़	पकड़ी टोला नौडिहवा	इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण आउटफाल ड्रेन निर्माण	97.290	19.450	20.840	40.290	57.000	20.00
4	शोहरतगढ़	मुडिला बुजुर्ग	पिच रोड इण्टरलाकिंग निर्माण	97.290	19.460	20.840	40.300	56.990	20.00
5	शोहरतगढ़	टेकनार	पिचरोड/ सी 0सी0रोड/के0 सी0ड्रेन का निर्माण	96.700	19.340	20.830	40.170	56.530	20.00
6	शोहरतगढ़	पल्टादेवी	इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण/ आउटफाल ड्रेन निर्माण	75.000	15.000	20.830	35.830	39.170	20.00
7	शोहरतगढ़	रमवापुर नानकार	पिचरोड/ सी 0सी0रोड/के0 सी0ड्रेन का निर्माण	70.000	14.000	20.830	34.830	35.170	20.00
8	शोहरतगढ़	लुचुईया	पिचरोड/ सी 0सी0रोड/के0 सी0ड्रेन का निर्माण	98.370	19.670	20.830	40.500	57.870	20.00
9	बढ़नी	सिसवा बुजुर्ग	इण्टरलाकिंग /नाली निर्माण/ आउटफाल ड्रेन निर्माण	45.000	9.000	20.830	29.830	15.170	5.00
10	बढ़नी	मोहन कोला	इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण/आउट फाल ड्रेन निर्माण	85.000	17.000	20.830	37.830	47.170	20.00
11	नौगढ़	करौती	पिचरोड/ सी 0सी0रोड/के0 सी0ड्रेन का निर्माण	95.510	19.100	20.830	39.930	55.580	20.00
12	नौगढ़	पिपरा	पिचरोड/ सी 0सी0रोड/के0 सी0ड्रेन का निर्माण	96.940	19.390	20.830	40.220	56.720	20.00
			योग	**1052.040**	**210.400**	**250.00**	**460.400**	**591.640**	**225.00**

(1)-प्रश्नगत कार्यो हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित आहरण वितरण अधिकारी को किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई (ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग) के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) कराने के उपरान्त ही निर्माण इकाई को वास्तविक आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत मं वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3)-कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणनों में प्रस्तावित मात्राओं एवं लागत को यथावत मानते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतएव स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तरादायी होंगे।

(4)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति एवं उपयोगित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-संबंधित जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(6)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7)-आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8)-कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन की यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(9)-उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022,दिनांक-07.06.2022में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0संख्या-66 /2022/1430(1)/26-3-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सिद्धार्थनगर।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।